

**राजस्थान वित्त विधेयक, 2024**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1****प्रारम्भिक**

1. **संक्षिप्त नाम.**- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2024 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.**- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 और 18 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

**अध्याय 2****राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन**

3. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.**- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(xxxvi) “स्टाम्प” से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा बनाया गया कोई चिह्न, मुहर या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें कोई आसंजक या छापित स्टाम्प सम्मिलित है;”।

4. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3 का संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 3 में, विद्यमान उपबंध “इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अंतर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी हैं, अर्थात्,-

(क) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित की गयी न होते हुए, उस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गयी है;

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं

की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है:”, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अंतर्विष्ट छूटों के अध्यक्षीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित स्टाम्प शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी हैं, अर्थात्:-

(क) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् राज्य में निष्पादित की गयी है;

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में अवस्थित किसी संपत्ति से संबंधित है।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दशा में जब बीमाकृत व्यक्ति राजस्थान राज्य में निवास करता हो, या, यथास्थिति, बीमाकृत सम्पत्ति राजस्थान राज्य में स्थित हो, तो बीमा की लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क राजस्थान राज्य में प्रभार्य होगा:”।

**5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 30 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 30 में विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्थावर सम्पत्ति संबंधी लिखतों की दशा में, जिनका बाजार मूल्य स्टाम्प शुल्क की गणना करने के प्रयोजन के लिए अवधारित किया जाना अपेक्षित है, लिखत में वे समस्त विशिष्टियां, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, पूर्णतः और सही प्रकार से उपवर्णित की जायेंगी।”।

**6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 39 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 39 के परंतुक के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की” हटायी जायेगी।

**7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 44 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो” हटायी जायेगी।

**8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 52-ख का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 52-ख की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “या तो गलत है या” हटायी जायेगी।

**9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 58 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 58 के खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी ऐसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प” के स्थान पर अभिव्यक्ति “उसके किसी पक्षकार या

पक्षकारों द्वारा निष्पादित किसी ऐसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प” प्रतिस्थापित की जायेगी।

**10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.-** मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 1 में,-

(क) स्तम्भ संख्यांक 1 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रुपये से अधिक” के स्थान पर अभिव्यक्ति “किसी ऋण की रकम या मूल्य में दस हजार रुपये से अधिक” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “दस रुपये।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पांच सौ रुपये।” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अनुच्छेद 2 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पांच सौ रुपये।” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 5 में,-

(क) खण्ड (क) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “दस रुपये।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “शून्य।” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ख) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “दो सौ रुपये अधिकतम के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “दो सौ रुपये।” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) खण्ड (ड) के द्वितीय परन्तुक में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “अनुच्छेद 44 के खण्ड (डडड)” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अनुच्छेद 44 के खण्ड (च)” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(घ) खण्ड (चच) के उप-खण्ड (i) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “न्यूनतम 100 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “न्यूनतम 100 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संविदा में करार की गई रकम का 0.25 प्रतिशत।” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ड) खण्ड (चच) के उप-खण्ड (ii) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “संविदा में करार की गई रकम का 0.5 प्रतिशत।” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) विद्यमान अनुच्छेद 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 8. आंकना या मूल्यांकन जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है। तीन सौ रुपये।

;"

(v) अनुच्छेद 9 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi) विद्यमान अनुच्छेद 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

<p>13. पंचाट अर्थात् वाद अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है:</p>	
<p>(क) यदि संपत्ति, जो पंचाट की विषय-वस्तु है, स्थावर संपत्ति है;</p>	<p>वही शुल्क, जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल पर, जो भी अधिक हो, हस्तांतरण पत्र [सं. 21 (i)] पर लगता है।</p>
<p>(ख) यदि संपत्ति, जो पंचाट की विषय-वस्तु है, जंगम संपत्ति है।</p>	<p>ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल पर, जो भी अधिक हो, 0.5 प्रतिशत।</p>

;"

(vii) अनुच्छेद 15 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो उतनी रकम के बन्धपत्र (सं. 14) पर लगता है।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(viii) विद्यमान अनुच्छेद 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

<p>16. लिखतों का रद्दकरण-</p>	
-------------------------------	--

<p>(क) पूर्व में निष्पादित किसी लिखत का रद्दकरण जिस पर अनुसूची के किसी अनुच्छेद के अनुसार स्टाम्प शुल्क संदत्त किया गया है और अनुसूची द्वारा उसके लिए विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है-</p>	
<p>(i) यदि एक मास के भीतर निष्पादित किया जाता है</p>	<p>एक हजार रुपये।</p>
<p>(ii) यदि एक मास के पश्चात् निष्पादित किया जाता है</p>	<p>वही शुल्क जो मूल लिखत पर लगता है, यदि ऐसे रद्दकरण का प्रभाव मूल लिखत द्वारा पहले से हस्तांतरित संपत्ति का पुनः हस्तांतरण हो:</p> <p>परंतु यदि मूल लिखत, विक्रय पर हस्तांतरण है, तो ऐसी रद्दकरण लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क, अनुच्छेद 21 (i) के अनुसार ऐसे रद्दकरण के निष्पादन की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर लगेगा।</p>

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित अन्य प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगमित निकाय द्वारा या इनके निमित्त निष्पादित किसी लिखत का रद्दकरण;	एक सौ रुपये।
(ग) किसी अन्य मामले में।	पांच सौ रुपये।

;"

(ix) अनुच्छेद 19 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(x) अनुच्छेद 21 में,-

(क) खण्ड (iii) में स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "या रद्द" हटायी जायेगी;

(ख) विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(iv) यदि वह अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) से संबंधित है-	
(क) जब भू-स्वामी के पक्ष में उसके द्वारा अभ्यर्पित भूमि के बदले में टीडीआर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है	पांच सौ रुपये।
(ख) जब टीडीआर प्रमाणपत्र किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाता है।	संपत्ति के उस संबंधित भाग, जो हस्तांतरण विलेख की विषयवस्तु है और जिस पर अन्तरणीय विकास अधिकार सृजित हो रहे हैं, के बाजार मूल्य जो कि अन्तरणीय विकास अधिकार के बाजार मूल्य के बराबर है, का दो प्रतिशत या हस्तांतरण विलेख के प्रतिफल का दो

	प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	;"
--	-------------------------	----

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

(v) अर्जक आस्तियों के संबंध में उधार का समनुदेशन।	उधार की रकम का 0.25 प्रतिशत।	
(vi) अनर्जक आस्तियों के संबंध में उधार का समनुदेशन।	उधार की रकम का छह प्रतिशत।	;"

(xi) विद्यमान अनुच्छेद 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

22. प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि यह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है।	एक सौ रुपये।	;"
---	--------------	----

(xii) विद्यमान अनुच्छेद 23 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

23. कोई लिखत, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क संदत्त कर दिया गया है, का प्रतिलेख या दूसरी प्रति।	एक सौ रुपये	;"
---	-------------	----

(xiii) अनुच्छेद 26 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xiv) अनुच्छेद 27 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xv) अनुच्छेद 35-क में,-

(क) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(ख) आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति:-	
(i) प्ररूप 8	दस हजार रुपये

(ii) प्ररूप 8-क	पाँच हजार रुपये
(iii) प्ररूप 9	दस हजार रुपये
(iv) प्ररूप 9-क	पाँच हजार रुपये
(v) प्ररूप 14	पन्द्रह हजार रुपये

(ख) विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(घ) आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-	
(i) प्ररूप 8	तीन हजार रुपये
(ii) प्ररूप 8-क	दो हजार रुपये
(iii) प्ररूप 9	तीन हजार रुपये
(iv) प्ररूप 9-क	दो हजार रुपये
(v) प्ररूप 14	पाँच हजार रुपये

(xvi) अनुच्छेद 37 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"	जब कोई संपाश्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या ऊपर वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप में स्टांम्पित है।	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बन्धपत्र (सं. 14) पर लगता है।	"
---	--	---	---

(xvii) विद्यमान अनुच्छेद 38 हटाया जायेगा;

(xviii) विद्यमान अनुच्छेद 41 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"	<b>41. भूमि उपयोग परिवर्तन या संपरिवर्तन का आदेश-राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूमि उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 या राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन या किन्हीं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन</b>	पाँच हजार रुपये।	"
---	---	------------------	---



जारी भूमि उपयोग परिवर्तन या संपरिवर्तन का आदेश।	
---	--

”

(xix) विद्यमान अनुच्छेद 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“	<b>44. धारा 2 (xxx) में यथापरिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी नहीं है,-</b>	
	(क) जब वह एक ही संव्यवहार से सम्बन्धित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एक-मात्र प्रयोजन के लिए या ऐसे एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन [रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) की धारा 33 के अनुसार] स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है;	प्रत्येक दस्तावेज के लिए पाँच सौ रुपये।
	(ख) जब वह अटर्नी को किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय या अन्तरण करने के लिए प्राधिकृत करता है और इसे साधारणतया अप्रतिसंहरणीय या कतिपय कालावधि के लिए अप्रतिसंहरणीय बनाता है;	वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) पर लगता है।
	(ग) जब वह अटर्नी को स्वयं के लाभ के लिए प्रतिफल को प्रतिधारित या उपयोग में लेने के लिए प्राधिकृत करते हुए, स्थावर सम्पत्ति में कोई हित या अधिकार सृजित करता है;	वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) पर लगता है।
	(घ) जब वह प्रतिफल के लिए दिया गया है और अटर्नी को किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय या अन्तरण करने के लिए प्राधिकृत करता है;	वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के लिए हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) पर लगता है।
	(ङ) जब स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या विक्रय करने के लिए मुख्तारनामा प्रतिफल के बिना निम्नलिखित को दिया जाता है-	
	(i) निष्पादी के पिता, माता, भाई, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पौत्री;	दो हजार रुपये।

<p>(ii) कोई भी अन्य व्यक्ति।</p>	<p>ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, जो मुख्तारनामे की विषयवस्तु है:</p> <p><b>परंतु</b> ऐसे मुख्तारनामे पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में हस्तांतरण पत्र के निष्पादन के समय बाद में हस्तांतरण पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति समायोजित की जायेगी यदि ऐसा हस्तांतरण विलेख मुख्तारनामे की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाता है।</p>
<p>(च) जब कोई स्थावर सम्पत्ति उस पर सन्निर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, दी जाये;</p>	<p>वही शुल्क जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है:</p> <p><b>परन्तु</b> धारा 51 के उपबंध मुख्तारनामे की ऐसी लिखत पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन हस्तांतरण-पत्र पर लागू होते हैं:</p> <p><b>परन्तु यह और कि</b> जब उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी सम्पत्ति के संबंध में किसी करार या करार के जापन पर अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त किया जाये तो इस खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क एक सौ रुपये होगा।</p>
<p>(छ) जब किसी अन्य मामले में दिया जाये।</p>	<p>प्राधिकृत किये गये प्रत्येक व्यक्ति के लिए पाँच सौ रुपये।</p>
<p><b>भली भांति ध्यान दें:</b>  “रजिस्ट्रीकरण” पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है।  <b>स्पष्टीकरण:-</b> इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत, उस दशा में जिसमें कि वे एक ही</p>	

फर्म, कम्पनी या किसी अन्य विधिक निकाय के हैं, यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति हैं।	;
---	---

(xx) अनुच्छेद 45 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान

पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxi) अनुच्छेद 46 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxii) विद्यमान अनुच्छेद 47 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"	<b>47. बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तान्तरण।</b>	पांच सौ रुपये।	;"
---	---	----------------	----

(xxiii) विद्यमान अनुच्छेद 50 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"	<p><b>50. प्रतिभूति-बंधपत्र या बंधक विलेख,-</b></p> <p>(i) किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है या जो उसके आधार पर प्राप्त धन-राशि या अन्य संपत्ति का लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है; या</p> <p>(ii) किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व का सम्यक् निर्वहण सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है; या</p> <p>(iii) उधार या ऋण के संदाय की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याभूति-दाता के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है; या</p> <p>(iv) उधार या ऋण के संदाय की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ प्रत्याभूति-दाता के रूप में किसी कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा निष्पादित किया गया है।</p>	<p>न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम का आधा (0.5) प्रतिशत।</p>	
	<p><b>छूटें:</b> बंध पत्र या अन्य लिखत जब वह निष्पादित की जाये,-</p> <p>(क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिये गये प्राईवेट चंदों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट</p>		

राशि से कम नहीं होगी;

- (ख) ऐसे कृषकों द्वारा जिन्होंने सरकार से अग्रिम धन लिये हैं या उनके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में;
- (ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभुओं द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिए।”

(xxiv) इस प्रकार संशोधित अनुच्छेद 50 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 51 के पूर्व, निम्नलिखित

नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 50-क. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन जारी की गयी प्रतिभूति रसीदें।	शुद्ध आस्ति मूल्य की रकम का 0.25 प्रतिशत।
---	---

(xxv) अनुच्छेद 51 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य, जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित हैं, के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxvi) अनुच्छेद 53 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxvii) अनुच्छेद 54 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxviii) अनुच्छेद 56 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो रकम या संबंधित संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो साठ रुपये से अधिक नहीं होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxix) अनुच्छेद 56 के खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही

शुल्क जो रकम या संबंधित संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पाँच सौ रुपये।” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxx) अनुच्छेद 57 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “दस रुपये।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “शून्य।” प्रतिस्थापित की जायेगी।

### अध्याय 3

#### राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

11. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 में, नयी धारा 8ख का अन्तःस्थापन.- राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की विद्यमान धारा 8क के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा 8ख अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“8ख. कतिपय मामलों में विद्युत् शुल्क पर रिबेट.- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, ऐसे उपभोक्ताओं को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, विद्युत् शुल्क की पूरी रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकेगी।”।

### अध्याय 4

#### राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (61) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(61) “इनपुट सेवा वितरक” से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मददे, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए दायी है;”।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.- (1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मददे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित है, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए

उनकी ओर से बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खण्ड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन, उसी राज्य में सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उदग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत सम्मिलित करते हुए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, वितरण करेगा।

(3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का, एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अन्तर्विष्ट हो, एक दस्तावेज जारी करके ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, वितरण करेगा।"।

**14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9, में नयी धारा 122क का अंतःस्थापन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 122 के पश्चात् और विद्यमान धारा 123 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"122 क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत करने में असफलता के लिए शास्ति.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गयी है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गयी है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपये की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उप-धारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी:

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जायेगा, जहां-

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिवस के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।"।

## अध्याय 5

### राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

**15. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल या ऐसे माल से विनिर्मित माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसे व्यवहारी का वार्षिक पण्यावर्त-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी के मामले में पचास लाख रुपये;  
और

(ii) अन्य व्यवहारियों के मामले में पचहत्तर लाख रुपये,  
से अधिक न हो।”।

**16. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 4 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “और अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय पण्यावर्त पर उक्त अनुसूचियों में” के स्थान पर अभिव्यक्ति “और अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय पण्यावर्त पर उक्त अनुसूची में” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) की, विद्यमान अभिव्यक्ति “अधिनियम की अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अधिनियम की अनुसूची-1 में” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “अनुसूचियों को परिवर्धित या उनसे लोप” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अनुसूची-1” प्रतिस्थापित की जायेगी और विद्यमान शब्द “अनुसूची” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अनुसूची-1” प्रतिस्थापित किया जायेगा।

**17. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 8 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी किसी भी शर्त के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी माल के विक्रय या क्रय को, कर से भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।”;

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

18. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की अनुसूचियों का संशोधन.- मूल अधिनियम में विद्यमान अनुसूचियां 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और उनकी प्रविष्टियां, यदि कोई हों, के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां और उनकी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

**अनुसूची-1**

[धारा 4 की उप-धारा (5) देखिए]

निम्नलिखित दर पर कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर %	शर्त, यदि कोई हों
1	2	3	4
1.	हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल ऑयल	17.30	
2.	पेट्रोल	29.04	
3.	एविएशन टरबाईन फ्यूल (एटीएफ)	26	
4.	पेट्रोलियम कूड	5	
5.	तरलीकृत या गैसीय नेचुरल गैस	10	
6.	कम्प्रेसड नेचुरल गैस (सीएनजी)	10	
7.	पाइपड नेचुरल गैस (पीएनजी)	10	
8.	देशी शराब	10	
9.	विदेशी शराब, भारत में विनिर्मित विदेशी शराब और बीयर।	30	
10.	माल जो उक्त प्रविष्टियों में उल्लिखित नहीं है।	5.5	

**अनुसूची-2**

(धारा 8 की उप-धारा (3) देखिए)

व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट

क्र.सं.	व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट	शर्त, यदि कोई हों



1.	संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी घटक एजेन्सियां	
2.	विदेशी राजनयिक मिशन और उनके राजनयिक	
3.	राज्य में 'हब' स्थापित करने वाली एयरलाइन्स को एविएशन टरबाईन फ्यूल	
4.	(i) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, या (ii) रेजीमेंटल या सेना यूनिटों से संबद्ध यूनिट-रन कैन्टीन	
5.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	
6.	भारतीय रेल्वे	
7.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	
8.	एयरलाइन्स, जो राज्य के ऐसे शहरों को पहली बार जोड़ती हैं, जिनमें हवाई सेवा नहीं है	
9.	प्रशिक्षण के लिए स्थापित रजिस्ट्रीकृत फ्लाइंग क्लब	
10.	राजस्थान में बी एस एफ कैन्टीन	
11.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये रिटेल ऑफ लाइसेंस धारक व्यवहारी	
12.	(i) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. (ii) अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि.	
13.	राजस्थान में सी आई एस एफ कैन्टीन	

14.	राजस्थान में सी आर पी एफ कैन्टीन	
15.	राज्य में हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल आयल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
16.	मैसर्स राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	
17.	किसी ऐसी एयरलाईन, जो राजस्थान राज्य में और/या से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करती है, को एविएशन टरबाईन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
18.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये देशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति धारक व्यवहारी	
19.	पेट्रोलियम कंपनियों के खुदरा आउटलेट वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
20.	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी "रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़ान" में यथा परिभाषित आरसीएस उड़ानों को संचालित करने वाले एयरलाइन आपरेटर को राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट पर एविएशन टरबाईन फ्यूल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
21.	विनिर्माताओं और संकर्म ठेकेदारों और खनन में लगे हुआं को, जो राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, को हाई स्पीड डीजल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
22.	मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.	
23.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिटेल ऑफ अनुज्ञप्तियां नहीं रखने वाले व्यवहारियों/व्यक्तियों को विक्रय की गयी विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर	
24.	राज्य में नागर विमानन निदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी फ्लाईंग ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन और एयरक्राफ्ट टाईप ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन को एविएशन टरबाईन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

### 1. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के खण्ड (xxxvi) को, "स्टाम्प" की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संदाय करने के अनुसरण में बनाये गये प्रत्येक चिह्न, मुहर या पृष्ठांकन को सम्मिलित करने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 को, बीमा पालिसियों पर, जहां बीमाकृत व्यक्ति का निवास या सम्पत्ति राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्टाम्प शुल्क के संदाय से संबंधित स्पष्ट उपबंध करने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 39 के परंतुक के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) और धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) को, स्टाम्प शुल्क में कमी के पच्चीस प्रतिशत की प्रभार्य न्यूनतम शास्ति की शर्त हटाने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 52-ख की उप-धारा (1) को, विद्यमान अभिव्यक्ति "या तो गलत है या" को हटाने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 58 के खण्ड (घ) को, खराब स्टाम्पों के प्रतिदाय के संबंध में जहां लिखत या तो एक पक्ष या दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित की गयी है, विद्यमान उपबंधों को सुस्पष्ट बनाने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अभिस्वीकृति, प्रशासन बंधपत्र, आंकना या मूल्यांकन, प्रति या उद्वरण, प्रतिलेख या दूसरी प्रति माल के संबंध में परिदान आदेश, संपार्श्विक, सहायक, अतिरिक्त, प्रतिस्थापित प्रतिभूति या आश्वासन के रूप में बंधक, विनिमय-पत्र या वचन-पत्र विषयक प्रसाक्ष्य, बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तान्तरण, धार्मिक या खैराती प्रयोजन से संबंधित व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण, संपत्ति के व्ययन के बिना पट्टा और न्यास का अभ्यर्पण या न्यास का प्रतिसंहरण की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की संगणना की पद्धति को सरल करने के साथ दरों को युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के संबंधित अनुच्छेद 1, 2, 8, 22, 23, 26, 37 (ग), 45, 47, 51, 54 और 56 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

शिक्षता-विलेख की लिखत, विवाह-विच्छेद लिखत और फसल के बंधक पर स्टाम्प शुल्क से राहत देने की दृष्टि से, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद क्रमशः 9, 27 और 38 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि पोत के संबंध में लिखतें जैसे पोत बंधपत्र, भाड़े पर पोत लेने का संविदा, पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति, जहाजी माल बंधपत्र, पोत परिवहन आदेश और माल के लिए वारंट, का राजस्थान राज्य में विरल प्रयोग होता है इसलिए इन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए राजस्थान स्टाम्प शुल्क, 1998 की अनुसूची के संबंधित अनुच्छेदों 15, 19, 46, 49, 53 और 57 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 41 के पोट के मास्टर द्वारा आपत्ति के टिप्पण से संबंधित विद्यमान उपबंधों को हटाया जाना प्रस्तावित है और साथ ही इसके स्थान पर, भूमि उपयोग परिवर्तन या संपरिवर्तन के आदेश से संबंधित नयी लिखत प्रतिस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 13, को स्थावर और जंगम संपत्तियों से संबंधित पंचाट के लिए स्टाम्प शुल्क की भिन्न-भिन्न दरों को विहित करने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

लिखतों का रद्दकरण और उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की दृष्टि से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 16 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 21, को अन्तरणीय विकास अधिकारों टी डी आर की लिखत, जब वह भू-स्वामी के स्वयं के पक्ष में जारी की जाती है और जब ऐसी टीडीआर आगे अंतरित की जाती है, के लिए स्टाम्प शुल्क की भिन्न-भिन्न दरों को विहित करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के संबंध में उधार के समनुदेशन पर स्टाम्प शुल्क का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 21 में दो नये खण्ड (v) और (vi) को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35-क को नये आयुध नियम, 2016 के अनुसार आयुध या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्तियों के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 44 को मुख्तारनामों की विभिन्न लिखतों का पुनःवर्गीकरण करने और उस पर स्टाम्प शुल्क की दरें विहित करने के प्रयोजन के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 50 को प्रतिभूति बंधपत्र के विभिन्न लिखतों के पुनः वर्गीकरण करने और उस पर स्टाम्प शुल्क की दरें विहित करने के प्रयोजन के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में "प्रतिभूति रसीद" की नयी लिखत जोड़ने और उस पर स्टाम्प शुल्क विहित करने के प्रयोजन के लिए नया अनुच्छेद 50-क जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

## 2. राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962

वर्तमान में, राज्य सरकार के पास विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति है। तथापि, उपभोक्ता द्वारा संदेय विद्युत् शुल्क पर रिबेट के लिए कोई उपबंध नहीं हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उपभोक्ताओं, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, द्वारा संदेय विद्युत् शुल्क

की पूरी रकम तक की रिबेट अनुज्ञात करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में एक नयी धारा 8ख अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

### 3. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करते हैं, अर्थात्:-

विधेयक का खण्ड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (61) में उपबंधित परिभाषा "इनपुट सेवा वितरक" को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है। यह धारा 2 के खण्ड (61) में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर जारी बीजकों का समावेश करने से संबंधित है। यह संशोधन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर जारी बीजकों से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय को अनन्य रूप से इनपुट सेवा वितरक के माध्यम से ही मुख्य कार्यालय से इसकी शाखाओं में वितरित करने हेतु आदेशित करता है।

विद्येयक का खण्ड 13 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 में उपबंधित इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति, प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के संबंध में स्पष्टता प्रदान की जा सके। प्रस्तावित संशोधन सेवाओं से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय को केवल इनपुट सेवा वितरण प्रणाली के माध्यम से ही करने हेतु आदेशित करता है।

विद्येयक का खण्ड 14 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में, नयी धारा 122क को अन्तःस्थापित करने के लिए ईप्सित है। राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 के अधीन यथा अधिसूचित विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली कतिपय विनिर्दिष्ट मशीनों को रजिस्ट्रीकृत नहीं किये जाने पर शास्ति के अधिरोपित करने हेतु धारा 122क को अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

### 4. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल से संबंधित के सिवाय, निरसित कर दिया गया था। इस कारण, मूल्य परिवर्धित कर छह माल अर्थात् पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रीट जिसे साधारणतः पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, नेचुरल गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए एल्कोहोलिक शराब पर उद्ग्रहणीय है। परिणामतः, अनुसूची 1, 3 और 4 के अधीन आयी समस्त प्रविष्टियां निरसित कर दी गयीं थी और अधिनियम से संलग्न अनुसूची 2, 5 और 6 की अधिकांश प्रविष्टियां भी निरसित कर दी गयीं थीं। इसलिए, समस्त अनावश्यक अनुसूचियों, जिनके अधीन इस

समय कोई प्रविष्टियां अस्तित्व में नहीं हैं, का हटाया जाना और इनके स्थान पर दो नयी अनुसूचियां प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है।

इस दृष्टि से, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से संलग्न समस्त विद्यमान अनुसूचियों को, ऐसी अनुसूचियों जिनमें उक्त छह माल से सुसंगत प्रविष्टियां अंतर्विष्ट हों, के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त, इस कारण से, अधिनियम की धारा 3, 4 और 8 को यथावश्यक परिवर्तन सहित संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए, अधिनियम की विद्यमान धारा 3, 4, और 8 तथा अधिनियम की अनुसूचियों और उनकी प्रविष्टियों को तदनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,  
प्रभारी मंत्री।

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अंतर्गत माननीय  
राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

**[सं.प. 12(26)वित्त/कर/2024 दिनांक 10.07.2024**

प्रेषक:श्री भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,-

(i) से (xxxv) XX XX XX XX

(xxxvi) "स्टाम्प" से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मुहर, प्रमाणपत्र या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें कोई आसंजक या छापित स्टाम्प सम्मिलित है;

XX XX XX XX XX XX

3. शुल्क से प्रभार्य लिखतें:- इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अन्तर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी हैं, अर्थात्,-

(क) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित की गयी न होते हुए, उस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गयी है;

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है:

परन्तु कोई भी शुल्क निम्नलिखित की बाबत प्रभार्य न होगा,-

(i) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी लिखत पर, उन दशाओं में, जिनमें इस छूट के अभाव में, सरकार द्वारा ऐसी लिखत की बाबत प्रभार्य शुल्क देने के लिए दायी होती;

(ii) कोई लिखत जो पश्चात्पूर्वी अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के, अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित, अंश या सम्पत्ति के चाहे आत्यन्तिकतः या बंधक द्वारा या अन्यथा, विक्रय, अन्तरण या अन्य व्ययन के लिए है।

4. से 29. XX XX XX XX

XX XX XX XX

30. शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को लिखत में उपवर्णित किया जाना.-

(1) XX XX XX XX

(2) सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यानुसार शुल्क के प्रभार्य स्थावर सम्पत्ति संबंधी लिखतों की दशा में, लिखत में, राजस्व देने वाली भूमि के मामले में भू-राजस्व, अन्य स्थावर सम्पत्ति के मामले में वार्षिक भाटक या सकल आस्तियां, यदि कोई हों, स्थानीय कर, नगरपालिक या अन्य कर, यदि कोई हों जिसके कि उक्त सम्पत्ति अध्यक्षीन हो, कोई

भी अन्य विशिष्टियां, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, पूर्णतः और सही प्रकार से उपवर्णित की जायेगी।

31. से 38. XX XX XX XX  
XX XX XX XX

39. सम्यक रूप से स्टाम्पित न की गयी लिखतें साक्ष्य आदि में ग्राह्य हैं.- इस अधिनियम के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जायेगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जायेगी:

परन्तु,-

(क) कोई ऐसी लिखत, ऐसे सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यक्षीन रहते हुए निम्नलिखित का संदाय करने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी,-

(i) XX XX XX XX

(ii) जिस कालावधि के दौरान लिखत अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही है, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम पर, प्रतिमास या इसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति, किन्तु ऐसी शास्ति स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी।

(ख) से (च) XX XX XX

40. से 43. XX XX XX XX

XX XX XX XX  
44. परिबद्ध की गयी लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति.- (1) जब कलक्टर,-

(क) XX XX XX XX

(ख) धारा 42 की उप-धारा (2) के अधीन उसे भेजी गयी किसी लिखत को प्राप्त करता है, और उस अधिनियम के अधीन के अधीन ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है, तो वह निम्नलिखित प्रकृतिया अपनायेगा,-

(i) XX XX XX XX

(ii) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस



प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी, संदत्त की जाये :

परन्तु जब ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गयी है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गयी है, तब यदि कलक्टर ठीक समझे तो वह इस धारा द्वारा विहित की गयी पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा।

(2) और (3) XX XX XX XX  
 45. से 52-क. XX XX XX XX  
 XX XX XX XX

**52-ख. महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा पुनरीक्षण.-** (1) महानिरीक्षक स्टाम्प, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इस अधिनियम के अध्याय 3, 4 और 5 के अधीन किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि उसका यह विचार हो कि कलक्टर द्वारा उसमें पारित कोई भी आदेश या तो गलत है या राज्य राजस्व के हित के प्रतिकूल है तो वह ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और संबंधित पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश जारी कर सकेगा, जो वह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझे।

(2) XX XX XX XX  
 53. से 57. XX XX XX XX  
 XX XX XX XX

**58. खराब हो गये स्टाम्पों के लिए छूट.-** XX XX XX XX XX  
 (क) से (ग) XX XX XX XX  
 (घ) उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी ऐसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प, जो,-  
 (i) से (ix) XX XX XX XX  
 XX XX XX XX

अनुसूची  
 (धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क

1

2

1. **अभिस्वीकृति**, किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रुपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाये या हस्ताक्षरित की जाये, जूँकि ऐसी बही या कागज

दस रुपये।

लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो:

परन्तु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का, अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।

2. **प्रशासन-बन्धपत्र**, जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम सं. 39) की धारा 291, 375 और 376 के, या गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट, 1873 (1873 का अधिनियम सं. 5) की धारा 6 के अधीन दिया गया कोई बंधपत्र है।

बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत।

3. से 4. XX XX XX XX

5. **करार या करार का ज्ञापन-**

- (क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है;
- (ख) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर के विक्रय से संबंधित है;
- (ग) यदि वह स्थावर सम्पत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित है, जब कब्जा न तो दिया गया हो और न ही देने का करार किया गया हो;

दस रुपये।

दो सौ रुपये अधिकतम के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये।

करार या करार के ज्ञापन में यथा-उपवर्णित सम्पत्ति के कुल प्रतिफल का तीन प्रतिशत:

परन्तु ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे करार के अनुसरण में हस्तांतरण-पत्र के निष्पादन के समय हस्तांतरण-पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति बाद में समायोजित किया जायेगा, यदि ऐसा हस्तांतरण-विलेख करार की तारीख से 5 वर्ष के भीतर-भीतर निष्पादित किया जाये।

- (घ) यदि वह किसी बैंक या वित्तीय कम्पनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित है;

उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत।

(ड) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए किसी संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, प्राधिकार या शक्ति, देने से संबंधित है;

वही शुल्क जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है:

परन्तु यह कि धारा 51 के उपबंध ऐसे करार या करार के ज्ञापन पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन किसी लिखत पर लागू होते हैं:

परन्तु यह और कि यदि उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी सम्पत्ति के संबंध में मुख्तारनामे पर अनुच्छेद 44 के खण्ड (डडड) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त कर दिया गया है तो इस अनुच्छेद के अधीन स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये होगा।

(च) यदि किसी उत्पाद या कार्यक्रम या इवेंट के प्रोत्साहन के लिए उनसे लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से किये गये किसी विज्ञापन से संबंधित है;

न्यूनतम पांच सौ रुपये और अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी संविदा में करार की गयी रकम का 0.25 प्रतिशत।

(चच) यदि किसी इवेंट या फिल्म को टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करने या उसका प्रदर्शन करने के अनन्य अधिकार प्रदान करने से संबंधित है,-

(i) यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;

न्यूनतम 100 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।

(ii) अन्य किसी मामले में,

संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000

- रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।
- (छ) XX XX XX XX
- (क) छूट: XX XX XX XX
6. से 7. XX XX XX XX
8. **आंकना या मूल्यांकन** जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है:-
- (क) जहां कि रकम 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; वही शुल्क, जो ऐसी रकम के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है। दौं सो रुपये।
- (ख) किसी अन्य मामले में
- छूटें**
- (क) आंकन या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है;
- अथवा
- (ख) भाटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना।
9. **शिक्षुता विलेख**, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया है। चालीस रुपये।
10. से 12. XX XX XX XX
13. **पंचाट** अर्थात् वाद अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है:-
- (क) जहां कि उस संपत्ति की, जिससे पंचाट संबंधित है, रकम या मूल्य, जो ऐसे पंचाट में उपवर्णित हो, 1,000 रुपये से अधिक नहीं है, वही शुल्क, जो उतनी ही रकम के बंधपत्र (सं.14) पर लगता है।
- (ख) किसी अन्य मामले में एक सौ रुपये।
14. XX XX XX XX
15. **पोत-बन्धपत्र-** अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्र- वहीं शुल्क जो उतनी रकम



(iv) यदि वह अन्तरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) से संबंधित है

ऐसे अन्तरणीय विकास अधिकारों के प्रति सम्पत्ति के संबंधित भाग के बाजार मूल्य के समान अन्तरणीय विकास अधिकारों के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत, जो हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु है; या ऐसे हस्तान्तरण विलेख के लिए प्रतिफल है; जो भी अधिक हो।

छूट:-	XX	XX	XX	XX
स्पष्टीकरण:(i)	XX	XX	XX	XX
स्पष्टीकरण:(ii)	XX	XX	XX	XX

22. प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि यह सही प्रति क्या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है,-

- (i) यदि उनका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है, या यदि वह शुल्क जो उस पर प्रभार्य है, एक रुपये से अधिक नहीं है:
- (ii) किसी अन्य मामले में

तीन रुपये।

एक सौ रुपये।

#### छूटें

- (क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके सम्बन्ध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाये या दे।
- (ख) जन्मों, बपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह विच्छेदों, मृत्युओं या दफन से सम्बन्धित किसी रजिस्टर की, या उसमें के किसी उद्धरण की, प्रतिलिपि।

23. किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके सम्बन्ध में उचित शुल्क दे दिया गया है, प्रतिलेख या दूसरी प्रति,-

- (क) यदि वह शुल्क, जो मूल लिखत पर प्रभार्य है, तीन

वही शुल्क जो मूल पर देय

	रुपये से अधिक नहीं है;			है।
	(ख) किसी अन्य मामले में			एक सौ रुपये।
	<b>छूटें</b>			
	कृषकों को दिये गये किसी पट्टे का प्रतिलेख, जबकि ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो।			
24. से 25.	XX	XX	XX	XX
26.	<b>माल की बाबत परिदान-आदेश</b> स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के संव्यवहार व्यवस्थापन की बाबत परिदान आदेश का अपवर्जित करते हुए, अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसके समनुदेशितियों या लिखत के धारक को, ऐसे किसी भी भाण्डागार में, जहां माल भाटक या भाड़े पर संगृहीत या निक्षिप्त किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिए हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की सम्पत्ति के विक्रय या अन्तरण पर, ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से हस्तान्तरित की गयी हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य बीस रुपये से अधिक हो।			दस रुपये।
27.	<b>विवाह-विच्छेद की लिखत</b> अर्थात् कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है।			पचास रुपये।
28. से 35.	XX	XX	XX	XX
35-क.	<b>आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति</b> , अर्थात्, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) के उपबंधों के अधीन आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्षित करने वाला दस्तावेज.-			
	(क) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति:-			
	(i) रिवाल्वर या पिस्तौल			पांच हजार रुपये।
	(ii) राइफल			एक हजार पांच सौ रुपये।
	(iii) डी.बी.बी.एल.शस्त्र			एक हजार रुपये।
	(iv) एस.बी.बी.एल.शस्त्र			एक हजार रुपये।
	(v) एम.एल.शस्त्र			पांच सौ रुपये।
	(ख) आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति:-			
	(i) प्ररूप 11			दस हजार रुपये।
	(ii) प्ररूप 12			दस हजार रुपये।

(iii) प्ररूप 13		पांच हजार रुपये।	
(iv) प्ररूप 14		तीन हजार रुपये।	
(ग) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-			
(i) रिवाल्वर या पिस्तौल		दो हजार रुपये।	
(ii) राइफल		सात सौ पचास रुपये।	
(iii) डी.बी.बी.एल.शस्त्र		पांच सौ रुपये।	
(iv) एस.बी.बी.एल.शस्त्र		पांच सौ रुपये।	
(v) एम.एल.शस्त्र		एक सौ रुपये।	
(घ) आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-			
(i) प्ररूप 11		तीन हजार रुपये।	
(ii) प्ररूप 12		तीन हजार रुपये।	
(iii) प्ररूप 13		दो हजार रुपये।	
(iv) प्ररूप 14		एक हजार रुपये।	
35-ख. से 36.	XX	XX	XX
37. <b>बन्धक विलेख</b> , जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी (सं. 6), फसल का बन्धक (सं. 38), प्रतिभूति बंधपत्र (सं. 50) से संबंधित करार है-			
(क) जबकि ऐसे विलेख में समाविष्ट सम्पत्ति के किसी भाग का कब्जा बन्धककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;		वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।	
(ख) जबकि यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या दिये जाने के लिए करार नहीं किया गया है;		वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बन्धपत्र (सं. 14) पर लगता है।	
<b>स्पष्टीकरण:-</b> ऐसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बंधकित सम्पत्ति या उसके भाग का भाटक या पट्टा-राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, वह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है।			
(ग) जब कोई संपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या ऊपर वर्णित प्रयोजन			



के लिए और आश्वासन के रूप में जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप में स्टाम्पित है,-

ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 1,000 बारह रुपये रुपये से अधिक नहीं है;

और 1,000 रुपये से अधिक ऐसे प्रत्येक 1,000 बारह रुपये रुपये या उसके भाग के लिए जो प्रतिभूत हो।

**छूटें:**

(1) वे लिखतें, जो सरकार से उधार लेने वाले कृषकों द्वारा या उनके प्रतिभूओं के द्वारा ऐसे उधारों को चुकाने के लिए प्रतिभूति रूप में निष्पादित की गया हैं।

(2) आडमान पत्र जो विनिमय-पत्र से संलग्न है।

38. **फसल का बन्धक**, जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी लिखत दस रुपये है जो, फसल के बन्धक पर दिये गये उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्षियत करती है, चाहे बन्धक को समय फसल अस्तित्व में हो या न हो।

39. **नोटरी सम्बंधी कार्य**, अर्थात् कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांक, दस रुपये चिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाण-पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (सं. 45) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनायी गयी है या हस्ताक्षरित की गयी है।

40. XX XX XX XX

41. **पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण**। दस रुपये  
पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति सं.46 भी देखिये। पण्यम या गिरवी, हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से सम्बन्धित करार (सं. 6) देखिए।

42. से 43. XX XX XX XX

44. धारा 2 (XXX) में यथापरिभाषित **मुख्तारनामा** जो परोक्षी नहीं है,-  
(क) जब वह एक ही संव्यवहार में सम्बन्धित एक या एक अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एक मात्र प्रयोजन के लिए या ऐसी एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए एक सौ रुपये

निष्पादित किया गया है;

(ख) जब वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को खण्ड (क) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(ग) जब वह पांच से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्त: और पृथकत: एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणत: कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(घ) जब वह पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्त: या पृथकत: एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणत: कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(ङ) जब वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अटर्नी को किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(डड) जब स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या विक्रय करने के लिए मुख्तारनामा प्रतिफल के बिना निम्नलिखित को दिया जाता है,-

(i) निष्पादी के माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पौत्री।

(ii) कोई भी अन्य व्यक्ति

एक सौ रुपये

दो सौ रुपये

दो सौ रुपये

वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम के हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

दो हजार रुपये।

ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, जो मुख्तारनामे की विषयवस्तु है:

परन्तु ऐसे मुख्तारनामे पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में हस्तान्तरण-पत्र के निष्पादन के समय बाद में हस्तान्तरण-पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति समायोजित की जायेगी यदि ऐसा हस्तान्तरण विलेख मुख्तारनामे की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाता है;

(डडड) जब कोई स्थावर सम्पत्ति उस पर सन्निर्माण या

वही शुल्क जो सम्पत्ति के

उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, दी जाये।

बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है:

**परन्तु** धारा 51 के उपबंध मुख्तारनामे की ऐसी लिखत पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन हस्तांतरण-पत्र पर लागू होते हैं:

**परन्तु** यह और कि जब उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी सम्पत्ति के संबंध में किसी करार या करार के ज्ञापन पर अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त किया जाये तो इस खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क एक सौ रुपये होगा।

प्राधिकृत किये गये प्रति व्यक्ति के लिए पचास रुपये।

(च) अन्य किसी मामले में।

**भली भांति ध्यान दें:**

“रजिस्ट्रीकरण” पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है।

**स्पष्टीकरण.-** एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत, उस दिशा में जिसमें कि वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति हैं।

45. **विनिमय-पत्र या वचन-पत्र विषयक** प्रसाक्ष्य अर्थात् दस रुपये नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गयी ऐसी घोषणा, जो विनिमय - पत्र या वचन-पत्र

का अनादर करने का अनुप्रमाणन करती हैं।

46. **पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति** अर्थात् पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणापत्र, जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेने वालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल उसके न लादने या पोत से माल न उतारने के लिए उसके द्वारा उनके विरुद्ध लिखित रूप में की गयी कोई घोषणा जब ऐसा घोषणापत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है; पोत के मास्टर द्वारा प्रसाक्ष्य का टिप्पण (सं. 41) भी देखिए।

47. **बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण,-**

(क) यदि प्रतिफल जिसके लिए सम्पत्ति बंधक की गयी थी, 1,000 रुपये से अधिक नहीं है;

वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम, जो वह प्रतिहस्तान्तरण-पत्र में उपवर्णित है, वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(ख) अन्य किसी मामले में

एक सौ रुपये।

48. और 49. XX XX XX

XX

50. **प्रति-भूति-बंधपत्र या बंधक विलेख** जो किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रतिभूत के रूप में निष्पादित किया गया है या जो उसके आधार पर प्राप्त धन-राशि या अन्य सम्पत्ति का लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व का सम्यक् निर्वहण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूत द्वारा निष्पादित किया गया है।

दो सौ रुपये से कम न होते हुए, प्रतिभूत रकम का आधा (0.5) प्रतिशत।

**छूटें:**

बंधपत्र या अन्य लिखत जब वह निष्पादित की जाये,-

- (क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिये गये प्राइवेट चंदों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि

से कम नहीं होगी;

- (ख) ऐसे कृषकों द्वारा जिन्होंने सरकार से अग्रिम धन लिये हैं या उनके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिये जाने के लिए प्रति-भूति के रूप में;
- (ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभुओं द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिए।

51. **व्यवस्थापन-**

(क) व्यवस्थापन की लिखत जिसके अन्तर्गत महर विलेख है,-

(i) जहां व्यवस्थापन किसी धार्मिक या पूर्ण प्रयोजन के लिए किया गया है;

(ii) किसी अन्य मामले में,-

वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है।

(i) स्थावर सम्पत्ति के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के हस्तांतरण-पत्र (सं. 21(i)) पर लगता है; और

(ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है:

परन्तु जहां व्यवस्थापन के लिए करार व्यवस्थापन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन लिखत बाद में

निष्पादित की गयी है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां व्यवस्थापन की लिखत में व्यवस्थापन के प्रतिसंहरण का उपबंध अन्तर्विष्ट हो, वहां रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति का मूल्य, शुल्क के प्रयोजन के लिए ऐसे अवधारित किया जायेगा मानो लिखत में ऐसे कोई उपबंध अन्तर्विष्ट नहीं थे।

**छूट:**

मुसलमानों के बीच विवाह के अवसर पर या उसके संबंध में, विवाह के पूर्व या उसके पश्चात निष्पादित किया गया महर विलेख।

(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण,-

(i) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में वर्णित व्यवस्थापन के संबंध में;

(ii) खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में वर्णित व्यवस्थापन के संबंध में।

वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य, जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित है, के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।

(i) स्थावर संपत्ति के मामले में, वही शुल्क जो संबंधित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण-पत्र (सं. 21 (i)) पर लगता है, और

(ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो प्रतिसंहरण लिखत में व्यवस्थापित रकम या



(ख) जहां संपत्ति का व्ययन नहीं किया गया है।

वही शुल्क जो रकम या संबंधित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु साठ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ख) का प्रतिसंहरण, किसी संपत्ति का या उसके बारे में, जबकि वह विल से भिन्न किसी लिखत द्वारा किया गया हो।

वही शुल्क जो रकम या संबंधित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।

57. माल के लिए वारण्ट, अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की संपत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डॉक, भाण्डागार या घाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गयी है।

दस रुपये।

XX

XX

XX

XX

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,-

(1) से (60) XX

XX

XX

XX

(61) “इनपुट सेवा वितरक” से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मददे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

(62) से (120) XX

XX

XX

XX



(3) से (19) XX

XX

XX

XX

**20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.-** (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किये जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हो, जो विहित किये जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है;

(ख) वितरण किये गये प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गयी इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जायेगा;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गयी इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जायेगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत कालावधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गयी है, आवर्त का अनुपातिक होगा;

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गयी इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जायेगा और ऐसा वितरण, सुसंगत कालावधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत कालावधि के दौरान चालू वर्ष में सक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपातिक होगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) “सुसंगत कालावधि”-

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी;या

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या समस्त प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए समस्त प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं;

(ख) “प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता” पद से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं है, प्रदाय में लगे हुए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 तथा 92क और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम का घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है।

XX XX XX XX

**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX

1. और 2. XX XX XX XX

XX XX XX XX

3. कर का भार.- (1) XX XX XX XX

(2) उप-धारा (1) में अंतिर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल या ऐसे माल से विनिर्मित माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को अपवर्जित करते हुए अपने पण्यावर्त पर, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसे व्यवहारी का वार्षिक पण्यावर्त-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी के मामले में पचास लाख रुपये; और

(ii) अन्य व्यवहारियों के मामले में पचहत्तर लाख रुपये,

से अधिक न हो।

(3) से (6) XX XX XX XX

XX XX XX XX

4. कर का उद्ग्रहण और उसकी दर.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के उपबंधों के अध्याधीन रहते

हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवहारी के द्वारा संदेय कर उत्तरवर्ती व्यवहारियों के द्वारा किये गये विक्रयों की आवली में ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर होगा जो विहित किये जायें और अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय पण्यावर्त पर उक्त अनुसूचियों में ऐसे प्रत्येक माल के सामने उल्लिखित दर से उद्ग्रहीत किया जायेगा।

(2) प्रत्येक व्यवहारी, जो अपने कारबार के अनुक्रम में छूट प्राप्त माल से भिन्न किसी भी माल का ऐसी परिस्थितियों में क्रय करता है जिनमें ऐसे माल की विक्रय कीमत पर उप-धारा (1) के अधीन कोई कर संदेय नहीं है और उस माल का व्ययन धारा 18 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है, ऐसे माल की क्रय कीमत पर, इस अधिनियम की अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में ऐसे प्रत्येक माल के सामने उल्लिखित दर से कर देने का दायी होगा।

(3) और (4) XX XX XX XX

(5) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अध्ययीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूचियों को परिवर्धित या उनसे लोप या अन्यथा संशोधित या उपांतरित कर सकेगी या किसी भी माल के संबंध में संदेय कर की दर में कमी कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित की हुई समझी जायेगी।

(6) और (7) XX XX XX XX

XX XX XX XX

5. से 7. XX XX XX XX

XX XX XX XX

**8. कर से छूट.-** (1) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर से छूट प्राप्त होगा जो उनमें विनिर्दिष्ट की जायें।

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूची-1 को परिवर्धित या उसमें लोप या अन्यथा संशोधित या उपांतरित कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित की हुई समझी जायेगी।

(3) से (5) XX XX XX XX

XX XX XX XX

9. से 100. XX XX XX XX

XX XX XX XX

**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से संलग्न अनुसूचियां**

**अनुसूची-1**  
(धारा 8 की उप-धारा (1) देखिए)  
ऐसा माल जिसका विक्रय या क्रय कर से छूट प्राप्त है

क्र.सं.	माल का विवरण	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3
1. से 162.	XX XX XX	XX

**अनुसूची-2**  
(धारा 8 की उप-धारा (3) देखिए)  
व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट

क्र.सं.	व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट	शर्तें
1	2	3
1.	संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसकी घटक एजेन्सियां	
2.	विदेशी राजनयिक मिशन और उनके राजनयिक	
3.	राज्य में 'हब' स्थापित करने वाली किसी एयरलाइन को एविएशन टरबाइन फ्यूल।	
4.	(i) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, या (ii) रेजीमेंटल या मिलिट्री यूनिटों से संबद्ध यूनिट-रन कैन्टीन।	
5.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	
6.	भारतीय रेल्वे।	
7.	XX XX XX	
8.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	
9.	XX XX XX	

से 23.		
24.	एयरलाइन, जो राज्य के ऐसे शहरों को पहली बार जोड़ती हैं, जिनमें हवाई सेवा नहीं है।	
25.	प्रशिक्षण के लिये स्थापित रजिस्ट्रीकृत फ्लाइंग क्लब।	
26. से 30.	XX                      XX                      XX	
31.	राजस्थान में बी एस एफ कैंटीनें।	
32. से 34.	XX                      XX                      XX	
35.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये रिटेल ऑफ लाइसेंस धारक व्यवहारी।	
36. से 42.	XX                      XX                      XX	
43.	(i) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (ii) अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	
44.	XX                      XX                      XX	
47.	राजस्थान में सी आई एस एफ कैंटीनें	
48.	राजस्थान में सी आर पी एफ कैंटीनें	
49. से 51.	XX                      XX                      XX	
52.	राज्य में हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल ऑयल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	
53. से 63.	XX                      XX                      XX	



(धारा 4 देखिए)

1 प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
1. से 8.	XX      XX      XX		

अनुसूची-4

(धारा 4 देखिए)

5.5 प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
1. से 228.	XX      XX      XX		

अनुसूची-5

(धारा 4 देखिए)

14.5 प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
1. से 28.	XX      XX      XX		
29.	गैसे, द्रवित या अद्रवित, किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से वस्तुओं के अलावा	14.5	

30. से 77.	XX            XX            XX		
78.	ऐसा माल जो अधिनियम की किसी भी अन्य अनुसूची या अधिनियम की धारा 6 के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आता है।	14.5	

**अनुसूची-6**  
**[धारा 4 (5) देखिए]**  
**विशेष दरों पर कराधेय माल**

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
1.	हाई एण्ड लाईट स्पीड डीजल ऑयल	17.30	
2.	XX            XX            XX		
3.	विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर:		
	(क) जब आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिटेल ऑफ लाइसेंस धारक व्यवहारी को विक्रय की जाये।	30	
	(ख) जब उक्त (क) के अन्तर्गत नहीं आने वाले व्यवहारियों/ व्यक्तियों को विक्रय की जाये।	20	
4.	XX            XX            XX		
5.	पेट्रोल	29.04	
6.	XX            XX            XX		
7.	पेट्रोलियम कूड	5	
8. से	XX            XX            XX		



11.			
12.	एवियेशन टरबाईन फ्यूल	26	
13. से 23.	XX            XX            XX		
24.	देशी शराब	10	
25.	द्रवीय या गैसीय स्थिति में प्राकृतिक गैस	10	

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

*(Authorised English Version)*  
**THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2024**  
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A*  
*Bill*

*further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Goods And Services Tax Act, 2017 and the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2024-25.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I**  
**PRELIMINARY**

**1. Short title.-** This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2024.

**2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.-** In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 and 18 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

**CHAPTER II**

**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998**

**3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-**In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing clause (xxxvi), the following shall be substituted, namely:-

"(xxxvi) "Stamp" means any mark, seal or endorsement made electronically or otherwise by any agency or person duly authorised by the State Government, and includes an adhesive or impressed stamp, for the purpose of duty chargeable under this Act;"

**4. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-**In section 3 of the principal Act, for the existing provision "Subject to the provisions of this Act and the exemptions contained in the Schedule, the following instruments shall be chargeable with duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefore respectively, that is to say,-

- (a) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed in the State on or after the date of commencement of this Act;
- (b) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State on or after the said date, relates to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State, or relates to any property situate in the State:", the following shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the provisions of this Act and the exemptions contained in the Schedule, the following instruments shall be chargeable with

duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefore respectively, that is to say,-

- (a) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed in the State on or after the date of commencement of this Act;
- (b) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State on or after the said date, relates to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State, or related to any property situate in the State.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, in case the insured person resides in the State of Rajasthan or as the case may be, insured property is situated in the State of Rajasthan, the stamp duty payable on the instrument of insurance shall be chargeable in the State of Rajasthan:".

**5. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In section 30 of the principal Act, for the existing sub-section (2) the following shall be substituted, namely:-

"(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), in the case of instruments relating to immovable property, the market value of which is required to be determined for the purpose of calculating the Stamp duty, the instrument shall fully and truly set forth all the particulars which may be prescribed by rules made under this Act."

**6. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In sub-clause (ii) of clause (a) of the proviso to section 39 of the principal Act, the existing expression "or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher," shall be deleted.

**7. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of the section 44 of the principal Act, the existing expression "or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher," shall be deleted.

**8. Amendment of section 52-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In sub-section (1) of section 52-B of the principal Act, the existing expression "either erroneous or" shall be deleted.

**9. Amendment of section 58, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In clause (d) of section 58 of the principal Act, for the existing expression "the stamp used for an instrument executed by any party thereto", the expression "the stamp used for an instrument executed by any party or parties thereto" shall be substituted.

**10. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In the Schedule of the principal Act,-

(i) in Article 1,-

- (a) for the existing expression "a debt exceeding twenty rupees", appearing under Column No. 1, the expression "a debt exceeding ten thousand rupees" shall be substituted;

- (b) for the existing expression "Ten rupees", appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees" shall be substituted;
- (ii) in Article 2, for the existing expression "Two percent of the value of the bond" appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees" shall be substituted;
- (iii) in Article 5,-
- (a) in clause (a), for the existing expression "Ten rupees" appearing under Column No. 2 the expression "Zero" shall be substituted;
- (b) in clause (b), for the existing expression "Subject to a maximum of two hundred rupees, ten rupees for every Rs. 10,000/- or part thereof, of the value of the security or share." appearing under Column No. 2, the expression "Two hundred rupees." shall be substituted;
- (c) in second proviso of clause (e), for the existing expression "clause (eee) of Article 44" appearing under Column No. 2, the expression "clause (f) of Article 44" shall be substituted;
- (d) in sub-clause (i) of clause (ff), for the existing expression "Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100." appearing under Column No. 2, the expression "0.25% of the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100." shall be substituted;
- (e) in sub-clause (ii) of clause (ff), for the existing expression "Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract." appearing under Column No. 2, the expression "0.5% of the amount agreed in the contract." shall be substituted;
- (iv) for the existing Article 8, the following shall be substituted, namely:-

"	<b>8. Appraisal or valuation</b> made otherwise than under an order of the court in the course of a suit.	Three hundred rupees.	;"
---	---	-----------------------	----

- (v) in Article 9, for the existing expression "Forty rupees", appearing under Column No. 2, the expression "Zero" shall be substituted;
- (vi) for the existing Article 13, the following shall be substituted, namely:-

"	<p><b>13. Award</b>, that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the court in the course of a suit:</p>	
	(a) If the property, which is the subject matter of award, is immovable property;	The same duty as on a conveyance [No. 21(i)] on the market value of such property

	or consideration, whichever is higher.
(b) If the property, which is the subject matter of award, is movable property.	0.5% on the market value of such property or consideration, whichever is higher.

(vii) in Article 15, for the existing expression "The same duty as on Bond (No. 14) for the same amount", appearing under Column No. 2, the expression "Zero" shall be substituted;

(viii) for the existing Article 16, the following shall be substituted, namely:-

<b>16. Cancellation of Instruments-</b>	
(a) Cancellation of any instrument previously executed on which stamp duty has been paid as per any article of the Schedule and not otherwise specifically provided for by the Schedule-	
(i) if executed within one month	One thousand rupees.
(ii) if executed after one month	Same duty as on the original instrument if such cancellation has the effect of re-conveyance of property already conveyed by the original instrument: Provided that, if the original instrument is a conveyance on sale, then the stamp duty payable on such cancellation instrument is, as per Article 21 (i), on the market value of the property as on the date of execution of such cancellation.
(b) Cancellation of any instrument executed by or on behalf of a Local Authority or other Authority constituted by or under any law for the time being in force or a body corporate wholly owned or controlled by the Central Government or the State Government;	One hundred rupees.
(c) in any other case.	Five hundred rupees.

(ix) in Article 19, for the existing expression "Fifty rupees", appearing under Column No. 2, the expression "Zero" shall be substituted;

(x) in Article 21,-

(a) in clause (iii), the existing expression "or cancelled" appearing under Column No. 2 shall be deleted;

(b) for the existing clause (iv), the following shall be substituted, namely:-

" (iv)if relating to Transferable Development Rights (TDR)-	
(a) when TDR certificate is issued in favour of land owner in lieu of the land surrendered by him;	Five hundred rupees.
(b) when TDR certificate is transferred to another person.	Two percent on the market value of the Transferable Development Rights equal to the market value of the corresponding portion of the property leading to such Transferable Development Rights, which is the subject matter of conveyance; or two percent on consideration for such conveyance; whichever is higher.

(c) after clause (iv) so amended, the following new clauses shall be added, namely:-

" (v) Assignment of debt in respect of performing assets.	0.25 percent of the amount of debt.
(vi) Assignment of debt in respect of non-performing assets.	6 percent of the amount of debt.

(xi) for the existing Article 22, the following shall be substituted, namely:-

" <b>22. Copy or extract</b> certified to be a true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees.	One hundred rupees.
--	---------------------

(xii) for the existing Article 23, the following shall be substituted, namely:-

" <b>23. Counterpart or duplicate</b> of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid.	One hundred rupees
---	--------------------

(xiii) in Article 26, for the existing expression "Ten rupees", appearing under Column No. 2, the expression "One hundred rupees" shall be substituted;

(xiv) in Article 27, for the existing expression "Fifty rupees." appearing under Column No. 2, the expression "Zero." it shall be substituted;

(xv) in Article 35-A,-

(a) for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

(b) Licence relating to arms or ammunition on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 2016:-	
(i) Form VIII	Ten thousand rupees
(ii) Form VIII-A	Five thousand rupees
(iii) Form IX	Ten thousand rupees
(iv) Form IX-A	Five thousand rupees
(v) Form XIV	Fifteen thousand rupees

(b) for the existing clause (d), the following shall be substituted, namely:-

(d) Renewal of licence relating to arms or ammunition on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 2016:-	
(i) Form VIII	Three thousand rupees
(ii) Form VIII-A	Two thousand rupees
(iii) Form IX	Three thousand rupees
(iv) Form IX-A	Two thousand rupees
(v) Form XIV	Five thousand rupees

(xvi) for the existing clause (c) of Article 37, the following shall be substituted, namely:-

(c) When a collateral or auxiliary or additional or substituted security or by way of further assurance for the above mentioned purpose where the principal or primary security is duly stamped.	The same duty as on a bond (No. 14) for the amount secured by such deed.
--	--

(xvii) the existing Article 38 shall be deleted;

(xviii) for the existing Article 41, the following shall be substituted, namely:-

<p>" <b>41. Order of land use change or conversion-</b>Order of land use change or conversion issued under the Rajasthan Urban Areas (Change of Land Use) Rules, 2010 or the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007 or under any other relevant rules.</p>	<p>Five thousand rupees.</p>
---	------------------------------

(xix) for the existing Article 44, the following shall be substituted, namely:-

<p>" <b>44. Power of Attorney-</b> (as defined by section 2 (xxx), not being a proxy,-</p>	
<p>(a) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents [as per section 33 of Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908)];</p>	<p>Five hundred rupees for each document.</p>
<p>(b) when authorising the attorney to sell or transfer any immovable property and is made irrevocable generally or irrevocable for a certain period;</p>	<p>The same duty as on conveyance (No. 21) for the amount of the consideration or market value of the property, whichever is higher.</p>
<p>(c) when creating any interest or right in immovable property by authorising the attorney to retain or use the consideration for the benefit of himself;</p>	<p>The same duty as on conveyance (No. 21) for the amount of the consideration or market value of the property, whichever is higher.</p>
<p>(d) when given for consideration and authorising the attorney to transfer or sell any immovable property;</p>	<p>The same duty as on conveyance (No. 21) for the amount of the consideration or market value of the property, whichever is higher.</p>
<p>(e) When power of attorney is given without consideration to transfer or sell immovable</p>	



property to—	
(i) the father, mother, brother, sister, wife, husband, son, daughter, grandson or grand-daughter of the executant;	Two thousand rupees.
(ii) any other person.	Two percent of the market value of the property, which is the subject matter of power of attorney:  <b>Provided that</b> the stamp duty paid on such power of attorney shall at the time of execution of a conveyance in pursuance of such power of attorney subsequently be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance if such conveyance deed is executed within three years from the date of power of attorney.
(f) when given to promoter or developer by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property;	The same duty as on conveyance (No. 21) on the market value of the property:  <b>Provided that</b> the provisions of section 51 shall, <i>mutatis mutandis</i> , apply to such an instrument of power of attorney as they apply to a conveyance under that section :  <b>Provided further that</b> when proper stamp duty is paid under clause (e) of Article 5 on an agreement or memorandum of an agreement executed between the same parties and in respect of the same property, the duty chargeable under this clause shall be rupees one hundred.
(g) when given in any other case.	Five hundred rupees for each person authorised.
<b>N.B.-</b> The term 'Registration' includes every operation incidental to registration under the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908).	

<b>Explanation.-</b> For the purpose of this Article more persons than one when belonging to the same firm, company or any other legal entity shall be deemed to be one person.	
---	--

(xx) in Article 45, for the existing expression "Ten rupees", appearing under Column No. 2, the expression "One hundred rupees" shall be substituted;

(xxi) in Article 46, for the existing expression "Ten rupees", appearing under Column No. 2, the expression "Zero" shall be substituted;

(xxii) for the existing Article 47, the following shall be substituted, namely:-

" <b>47. Re-conveyance of mortgaged Property.</b>	Five hundred rupees.
---	----------------------

(xxiii) for the existing Article 50, the following shall be substituted, namely:-

" <b>50. Security Bond or Mortgage-deed,-</b> (i) executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property, received by virtue thereof; or (ii) executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability; or (iii) executed by any person as a guarantor for the purpose of guaranteeing the repayment of loan or debt; or (iv) executed by any company or corporate body as a guarantor for the purpose of guaranteeing the repayment of loan or debt.	Subject to a minimum of rupees one thousand, half (0.5) percent of the amount secured.
<b>Exemption:</b> Bond or other instrument when executed,— (a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem; (b) by agriculturists taking advances from the Government or by their sureties as security for the re-payment of such advances; (c) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.	

(xxiv) after Article 50 so amended and before the existing Article 51, the following new Article shall be inserted, namely:-

" <b>50-A. Security receipts</b> issued under sub-sections (1) and (2) of section 7 of the Securitisation and Reconstruction	0.25 percent of the amount of Net Asset Value.
--	--

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Central Act No. 54 of 2002).	
--	--

- ;"
- (xxv) in sub-clause (i) of clause (b) of the Article 51, the existing expression "The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property concerned as set forth in the instrument of revocation, but not exceeding fifty rupees." appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees." shall be substituted;
- (xxvi) in Article 53, for the existing expression "Ten rupees.", appearing under Column No. 2, the expression "Zero." shall be substituted;
- (xxvii) in Article 54, for the existing expression "One hundred rupees.", appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees." shall be substituted;
- (xxviii) in sub-clause (b) of clause (A) of the Article 56, for the existing expression "The same duty as on bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding sixty rupees." appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees." shall be substituted;
- (xxix) in clause (B) of the Article 56, for the existing expression " The same duty as on bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding fifty rupees." appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees." shall be substituted;
- (xxx) in Article 57, for the existing expression "Ten rupees.", appearing under Column No. 2, the expression "Zero." shall be substituted.

## CHAPTER III

### AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

**11. Insertion of new section 8B, Rajasthan Act No. 12 of 1962.-** After the existing Section 8A and before the existing section 9 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act ,1962 (Act No.12 of 1962), the following new section 8B shall be inserted , namely:-

**“8B. Rebate on electricity duty in certain cases.-** Notwithstanding anything contained in this Act, where the State Government is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified therein, allow, whether prospectively or retrospectively, a rebate upto the full amount of electricity duty to such consumers as may be specified in the notification.”.

## CHAPTER IV

### AMENDMENT IN THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

**12. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-** For the existing clause (61) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;".

**13. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-** For the existing section 20 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

**"20. Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.-** (1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of State or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

(3) The credit of State tax shall be distributed as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed."

**14. Insertion of new section 122A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-** After the existing section 122 and before the existing section 123 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

**"122A. Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where—

- (a) the penalty so imposed is paid; and
- (b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty."

## **CHAPTER V AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

**15. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** In section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a dealer other than those specified in clause (a) of sub-section (1) or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, who purchases goods from a registered dealer of the State and sells, such goods or goods manufactured from such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover, at the rate as may be notified under sub-section (3) of section 4, subject to the condition that annual turnover of such dealer does not exceed-

- (i) rupees fifty lacs, in case of a dealer specified in clause (b) of sub-section (1); and
- (ii) rupees seventy five lacs, in case of other dealers."

**16. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** In section 4 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1), for the existing expression “and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule III to Schedule VI at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedules”, the expression “and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule I at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedule” shall be substituted.;
- (ii) in sub-section (2), for the existing expression “in Schedule-III to Schedule VI of the Act”, the expression “in Schedule I of the Act” shall be substituted;
- (iii) in sub-section (5), for the existing words “Schedules” and “Schedule”, the expression “Schedule I” shall be substituted.

**17. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** In section 8 of the principal Act,-

- (i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt fully or partially, whether prospectively or retrospectively from tax the sale or purchase of any goods, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.”;

- (ii) The existing sub-section (2) shall be deleted.

**18. Amendment of Schedules, the Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** For the existing Schedules I, II, III, IV, V and VI and entries thereto, if any, of the principal Act, the following Schedules and entries thereto shall be substituted, namely:-

**"SCHEDULE I**

[See sub-section (5) of section 4]

**Goods Taxable at following Rates**

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax (%)	Condition, if any
1.	2.	3.	4.
1.	High and light speed diesel oil	17.30	
2.	Petrol	29.04	
3.	Aviation turbine fuel (ATF)	26	
4.	Petroleum Crude	5	
5.	Natural Gas in Liquefied or Gaseous	10	

	state		
6.	Compressed Natural Gas (CNG)	10	
7.	Piped Natural Gas (PNG)	10	
8.	Country Liquor	10	
9.	Foreign Liquor, Indian Made Foreign Liquor and Beer.	30	
10.	Goods not covered in above entries	5.5	

**SCHEDULE II**  
[See sub-section (3) of section 8]  
**Exemption to Persons or Class of Persons**

S.No.	Exemption to person or Class of persons	Conditions, if any
1.	United Nations Organization and its constituent agencies	
2.	Foreign Diplomatic Missions and their diplomats	
3.	Aviation turbine fuel to any Airlines establishing 'HUB' in the State	
4.	(i) Canteen Stores Department, or (ii) Regimental or Unit-run Canteens attached to Military units.	
5.	Rajasthan State Road Transport Corporation	
6.	Indian Railways	
7.	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Ltd., Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Ltd., Ajmer Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Jaipur Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Jodhpur Vidyut Vitaran Nigam Ltd.	
8.	Airlines which for the first time connect cities of the State having no air service	
9.	Registered Flying Clubs set up for training	
10.	BSF canteens in Rajasthan	
11.	Dealers having license for retail off, issued by the Excise Department, Government of Rajasthan.	
12.	(i) Jaipur City Transport Service Limited (ii) Ajmer City Transport Service Limited	

13.	CISFcanteensin Rajasthan	
14.	CRPFcanteensinRajasthan	
15.	Registered dealers selling High and Light Speed Diesel Oil in the State	
16.	M/s. Rajasthan StateBeverages Corporation Limited, Jaipur	
17.	RegistereddealerssellingAviationTurbineFuel to any airline which operates commercial flights in and/or from the state of Rajasthan	
18.	Dealers having license for retail sale of country liquor issued by the Excise Department, Government of Rajasthan.	
19.	Registered dealers having retail outlets of petroleum companies	
20.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel at RCS Airports located within the State to airline operator which operates RCS Flights as defined in “Regional Connectivity Scheme –UDAN” issued by Ministry of Civil Aviation , Government of India	
21.	Registered dealers selling High Speed Diesel to manufacturers and works contractors and those engaged in mining, who are registered under the Rajasthan Goods and Service Tax Act, 2017(Act No.9 of 2017)	
22.	M/s Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.	
23.	Foreign Liquor, Indian Made Foreign Liquor and Beer, when sold to the dealers/persons not having retail off licenses issued by the Excise Department, Government of Rajasthan	
24.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel to Flying Training Organisations and Aircraft type training Organisations approved by the Directorate General of Civil Aviation operating in the State of Rajasthan	

”.



## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

### 1. THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Clause (xxxvi) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to include every mark, seal, or endorsement made in pursuance of payment of stamp duty through electronic mode, within the definition of "Stamp".

Section 3 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended so as to make clear provisions regarding payment of the stamp duty on insurance policies in the State of Rajasthan where insured person or property is situated in the State of Rajasthan.

Sub-clause (ii) of clause (a) of the proviso to section 39 and sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of the section 44 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 are proposed to be amended so as to delete the condition of charging minimum penalty of twenty five percent of the deficient stamp duty.

Sub-section (1) of section 52-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended so as to delete the existing expression "either erroneous or".

Clause (d) of section 58 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended so as to make the existing provisions explicit regarding refund of spoiled stamps where instruments is executed either by one party or both parties.

With a view to rationalize the rates as well as simplify the method of calculation of stamp duty on the instruments of Acknowledgement, Administration Bond, Appraisement or valuation, Copy or extract, Counterpart or duplicate, Delivery order in respect of goods, Mortgage by way of collateral, auxiliary, additional, substituted security or by way of further assurance, Protest of Bill or Note, Re-conveyance of mortgaged property, Revocation of Settlement relating to religious or charitable purpose, Surrender of lease and Trust without disposition of property or revocation of trust, the respective Articles 1, 2, 8, 22, 23, 26, 37(c), 45, 47, 51, 54 and 56 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 are proposed to be amended.

With a view to give relief from stamp duty on the instruments of Apprenticeship deed, Divorce instrument, and Mortgage of a crop, the respective Articles 9, 27 and 38 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 are proposed to be amended.

As the instruments relating to ships like Bottomry Bond, Charter party, Protest by the master of a ship, Respondentia bond, Shipping order and Warrant for goods are rarely used in the State of Rajasthan therefore the respective Articles 15, 19, 46, 49, 53 and 57 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 are proposed to be amended so as to exempt the stamp duty on these instruments.

The existing provisions of Article 41 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 relating to Note of protest by the master of a ship is proposed to be deleted and simultaneously substituted by the new instrument relating to order of land use change or conversion.

Article 13 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to prescribe different rates of stamp duty for the Awards relating to immovable property and movable properties.

With a view to clearly define the instruments of cancellation and the stamp duty payable thereon, the Article 16 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

Article 21 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to prescribe different rates of stamp duty for the instrument of Transferable Development Rights (TDR) when issued in favour of the land owner himself and when such TDR is further transferred. Two new clauses (v) and (vi) are also proposed to be added in Article 21 for making provisions of stamp duty on Debt Assignments in respect of performing assets and non-performing assets.

For the purpose of the making provisions according to new Arms Rules, 2016, Article 35-A of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 relating to the arms or ammunitions licences is proposed to be amended.

For the purpose of reclassifying the various instruments of power of attorney and prescribing rates of stamp duty thereon, the Article 44 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

For the purpose of reclassifying the various instruments of security bond and prescribing rates of stamp duty thereon, the Article 50 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

For the purpose of adding new instrument of "Security receipts" in the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 and prescribing stamp duty thereon, a new Article 50-A is proposed to be added.

## **2. THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962**

Presently the State Government has power to grant exemption from payment of Electricity Duty. However, there is no provision for rebate on electricity duty payable by consumer. Keeping this objective in view, it is proposed to insert a new section 8B in the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 to allow a rebate upto the full amount of electricity duty payable by such consumers as may be specified by the Government.

## **3. THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017**

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State of Rajasthan.

The proposed amendments in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, *inter alia*, provides for the following, namely:—

Clause 12 of the Bill seeks to substitute definition of "Input Service Distributor" provided in clause (61) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. It pertains to the inclusion of invoices issued on reverse charge basis in clause (61) of section 2. This amendment mandates the invoices issued on reverse charge basis within the mechanism of input service distributor for the distribution of Input Tax Credit from the head office to its branches exclusively.

Clause 13 of the Bill seeks to substitute the manner of distribution of credit by input service distributor provided in section 20 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide clarity regarding distribution of Input Tax Credit by input service distributor. Proposed amendment mandates for the distribution of Input Tax Credit on services through input service distributions mechanism only.

Clause 14 of the Bill seeks to insert a new section 122A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. Section 122A has been inserted in relation to impose penalty for not to register certain specified machines used to manufacture specified goods as notified under section 148 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

#### **4. THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

As a result of enactment of the Rajasthan Good and Services Tax Act, 2017, the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 had been repealed except in respect of goods included in entry 54 of the State list of the Seventh Schedule to the Constitution. Hence, value added tax is leviable on six goods namely, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas, aviation turbine fuel and alcoholic liquor for human consumption. Consequently all the entries falling under Schedules I, III and IV got repealed and most of the entries in the Schedules II, V and VI appended to the Act also got repealed. Therefore, it is expedient to remove all the redundant Schedules under which no entries exist as of now and to substitute them by two fresh Schedules.

In view of this, all the existing Schedules appended to the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 deserve to be substituted by the Schedules containing the entries relevant to the above six goods. Besides, for this reason, sections 3, 4 and 8 of the Act need to be amended *mutatis mutandis*. Therefore, existing sections 3, 4 and 8 of the Act and Schedules and entries thereto of the Act are proposed to be amended accordingly.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

**भजन लाल शर्मा,  
Minister Incharge.**

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अंतर्गत माननीय  
राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

**[सं.प. 12(26)वित्त/कर/2024 दिनांक 10.07.2024**

**प्रेषक: श्री भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।



31. to 38.                   XX                                   XX                                   XX

**39. Instruments not duly stamped inadmissible in evidence, etc.-** No instrument chargeable with duty under this Act shall be admitted in evidence for any purpose by any person having by law or consent of parties authority to receive evidence, or shall be acted upon, registered or authenticated by any such person or by any public officer, unless such instrument is duly stamped:

Provided that,-

(a) any such instrument shall, subject to all just exceptions, be admitted in evidence on payment of, -

(i) XX                                   XX                                   XX                                   XX

(ii) a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but such penalty shall not exceed to two times of the deficient stamp duty.

(b) to (f) XX                                   XX                                   XX                                   XX                                   XX

40. to 43.                   XX                                   XX                                   XX

**44. Collector's power to stamp instrument impounded-**

(1) When the Collector,-

(a) XX                                   XX                                   XX                                   XX                                   XX

(b) receives any instrument sent to him under sub-section (2) of section 42, and such instrument is chargeable with a duty under this Act, he shall adopt the following procedure,-

(i) XX                                   XX                                   XX                                   XX                                   XX

(ii) if he is of opinion that such instrument is chargeable with duty and is not duly stamped, he shall require the payment of proper duty or the amount required to make up the same, together with a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty:

*Provided* that, when such instrument has been impounded only because it has been written in contravention of section 13 or section 14, the Collector may, if he thinks, fit, remit the whole penalty prescribed by this section.

(2) and (3) XX                                   XX                                   XXXX                                   XX

45. to 52-A.                   XX                                   XX                                   XX

**52-B. Revision by the Inspector General of Stamp.-** (1) The Inspector General of Stamp may *suo motu* or otherwise, call for and examine the record of any proceeding under Chapter III, IV and V of this Act, and if he considers that any order passed therein by Collector is either erroneous or prejudicial to the interest of the State revenue, he may, after having made or after having caused to be made such enquiry as he considers necessary, and after having given to the party concerned a reasonable opportunity of being heard, pass such order or issue such direction as he deems proper under the circumstances of the case.

(2) XX	XX	XX	XX	XX
53. to 57.	XX		XX	XX
<b>58. Allowance for spoiled stamps-</b>	XX		XX	XX
(a) to (c)	XX	XX	XX	XX
(d) The stamp used for an instrument executed by any party thereto which,-				
(i) to (ix)	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX

**THE SCHEDULE**  
(See section 3)

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
1	2
1 <b>Acknowledgement</b> of a debt exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by or on behalf of a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's pass-book) or on a separated piece of paper when such book or paper is left in the creditors possession:  Provided that such acknowledgment does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.	Ten rupees
2. <b>Administration bond</b> including a bond given under sections 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925 (Act No. 39 of 1925), or under section 6 of the Government Savings Bank Act, 1873 (Act No. 5 of 1873).	Two percent of the value of the bond
3. to 4. XX	XX XX
<b>5. Agreement or memorandum of an agreement—</b>	
(a) relating to the sale of a bill of exchange;	if Ten rupees.
(b) relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate;	if Subject to a maximum of two hundred rupees., ten rupees for every Rs. 10,000/- or part thereof, of the value of the security or share.
(c) if relating to purchase or sale of an immovable property, when possession is neither given nor agreed to be given;	Three percent of the total consideration of the property as set forth in the agreement or

memorandum of an agreement:-

Provided that the stamp duty paid on such agreement shall at the time of execution of a conveyance in pursuance of such agreement subsequently be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance if such conveyance deed is executed within five years from the date of agreement.

- (d) if 0.25% of the amount relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or Finance Company; of loan or debt.
- (e) if relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property; The same duty as on conveyance (No 21.) on the market value of the property.

Provided that the provisions of section 51 shall, *mutatis mutandis*, apply to such agreement or memorandum of an agreement as they apply to an instrument under that section :

Provided further that if the proper stamp duty is paid under clause (eee) of Article 44 on a power of attorney executed between the

				same parties in respect of the same property then, the stamp duty under this Article shall be one hundred rupees.
(f)	if relating to any advertisement made for promotion of any product or program or event with an intention to make profits or business out of it,-			0.25% of the amount agreed in the contract, subject to a minimum of rupees five hundred and maximum of rupees twenty five thousand.
(ff)	If relating to conferring exclusive rights of telecasting, broadcasting or exhibition of an event or film,-			
	(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs;			Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.
	(ii) in any other case			Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.
(g)	XX	XX	XX	XX
	<sup>(a)</sup> <b>Exemption :</b> XX	XX	XX	XX
6. to 7.	XX		XX	
8.	<b>Appraisement or valuation</b> made otherwise than under an order of the court in the course of a suit,-			XX
	(a) Where the amount does not exceed Rs. 1,000/-			The same duty as on a bond (No. 14) for such amount.
	(b) in any other case			One hundred rupees.
<b>Exemptions :</b>				
	(a) Appraisement or valuation made for the information of one party only and not being in any manner obligatory between parties either by an agreement or operation of law; or			
	(b) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.			



9. <b>Apprenticeship-deed:</b> including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant, placed with any master to learn any profession, trade or employment.	Forty rupees.
10. to 12.      XX	XX XX
13. <b>Award</b> , that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the court in the course of a suit,-	
(a) Where the amount or value of the property to which the award relates as set forth in such award does not exceed Rs. 1,000/-.	The same duty as on a bond (No. 14) for same amount.
(b) In any other case	One hundred rupees.
14.            XX	XX XX
15. <b>Bottomry Bond</b> , that is to say, any instrument whereby the master of a seagoing ship borrows money, on the security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.	The same duty as on a bond (No. 14) for same amount.
16. <b>Cancellation-Instrument</b> (including any instrument by which any instrument, previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for.	One hundred rupees
17. and 18.    XX	XX XX
19. <b>Charter party</b> , that is to say any instrument (except an agreement for the hire of a tug steamer) whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the charterer, whether it includes a penalty clause or not.	Fifty rupees.
20.            XX	XX XX
21. <b>Conveyance</b> as defined by section 2 (xi),—	
(i) if relating to immovable property.	Eleven percent of the market value of the property.
(ii) if relating to movable property.	Half (0.5) percent of the market value of the property.
(iii) if relating to the order under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of a company.	(i) an amount equal to four percent of the aggregate amount comprising of the market value of share issued or allotted or cancelled in exchange of or otherwise, or on

the face value of such shares, whichever is higher and the amount of consideration, if any paid for such amalgamation, demerger or reconstruction, or

(ii) an amount equal to four percent of the market value of the immovable property situated in the State of Rajasthan of the transferor company,

whichever is higher. Five percent on the market value of the Transferable Development Rights equal to the market value of the corresponding portion of the property leading to such Transferable Development Rights, which is the subject matter of conveyance; or consideration for such conveyance; whichever is higher.

(iv) if relating to Transferable Development Rights (TDR)

**Exemption :-** XX XX XX XX

XX **Explanation : (i)** XX XX XX XX

**Explanation : (ii)** XX XX XX XX

**22. Copy or extract** certified to be a true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees,

(i) if the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed one rupee,- Three rupees.

(ii) in any other case One hundred rupees.

**Exemptions:**

- (a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office for any public purpose;
- (b) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.

**23. Counterpart or duplicate** of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid—

- (a) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed three rupees. The same duty as is payable on the original.
- (b) in any other case. One hundred rupees.

**Exemption:** Counterpart of any lease granted to a cultivator when such lease is exempted from duty.

24. to 25. XX

XX  
XX

**26. Delivery order in respect of goods excluding delivery order in respect of settlement of transactions in securities in stock exchange,** that is to say, any instrument entitling any person therein named or his assigns or the holder thereof, to the delivery of any goods lying in any warehouse in which goods are stored or deposited on rent or hire, such instrument being signed by or on behalf of the owner of such goods, upon the sale or transfer of the property therein, when such goods exceed in value twenty rupees. Ten rupees.

**27. Divorce-** Instrument of, that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage. Fifty rupees.

28. to 35. XX

XX  
XX

**35-A. Licence** relating to arms or ammunitions that is to say, document evidencing the licence or renewal of licence relating to arms or ammunitions under the provisions of the Arms Act, 1959 (Central Act no. 54 of 1959),-

(a) Licence relating to following arms:-

- (i) Revolvers or pistols Five thousand rupees
- (ii) Rifles One thousand five hundred rupees
- (iii) DBBL Weapons One thousand rupees
- (iv) SBBL Weapons One thousand rupees
- (v) ML Weapons Five hundred rupees

(b) Licence relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962:-

- (i) Form XI Ten thousand rupees
- (ii) Form XII Ten thousand rupees
- (iii) Form XIII Five thousand rupees

(iv) Form XIV	Three thousand rupees
(c) Renewal of licence relating to following arms:-	
(i) Revolvers or pistols	Two thousand rupees
(ii) Rifles	Seven hundred fifty rupees
(iii) DBBL Weapons	Five hundred rupees
(iv) SBBL Weapons	Five hundred rupees
(v) ML Weapons	One hundred rupees
(d) Renewal of licence relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962:-	
(i) Form XI	Three thousand rupees
(ii) Form XII	Three thousand rupees
(iii) Form XIII	Two thousand rupees
(iv) Form XIV	One thousand rupees
35-B. to 36. XX	XX XX

**37. Mortgage deed,** not being an agreement relating to deposit of title-deeds, pawn or pledge (No. 6) mortgage of a crop (No. 38), security bond (No. 50) :

- |   |  |
|---|--|
| (a) When possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given. | The same duty as on conveyance (No 21) for a consideration equal to the amount secured by such deed. |
| (b) When possession is not given or agreed to be given as aforesaid.  | The same duty as on a bond [(No 14)] for the amount secured by such deed.                            |

**Explanation:** A mortgagor, who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this article.

(c) When a collateral or auxiliary or additional or substituted security or by way of further assurance for the above-mentioned purpose where the principal or primary security is duly stamped,-

For every sum secured not exceeding Rs. 1,000/- Twelve rupees.

and for every Rs. 1,000/- or part thereof secured in excess Rs. 1,000/- Twelve rupees.

**Exemptions :**

(1) Instruments, executed by agriculturist taking advances from the Government or by their sureties as security for the repayment of such advance.

(2) Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.

**38. Mortgage of a crop,** including any instrument evidencing an agreement to secure the re-payment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is not in existence at the time of mortgage. Two rupees

**39. Notarial Act,** that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation, certificate or entry not being a Protest (No. 45) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office or by any other person lawfully acting as Notary Public. Ten rupees.

40. XX XX

**41. Note of protest by the master of a ship.** Ten rupees.

see also Protest by the master of a ship (No. 46). Pawn or Pledge, see agreement relating to deposit of title-deeds, pawn or pledge (No. 6).

42. to 43. XX XX XX

**44. Power of Attorney:-** (as defined by section 2 (xxx), not being a proxy :

(a) When executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents; One hundred rupees.

(b) when authorising one person or more to act in single transaction other than the case mentioned in clause (a); One hundred rupees.

(c) when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally; Two hundred rupees

(cc) [xxx]

- (d) when authorising more than five persons but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally; Two hundred rupees
- (e) when given for consideration and authorising the attorney to sell any immovable property; The same duty as on conveyance (No 21) for the amount of the consideration.
- (ee) When power of attorney is given without consideration to sell immovable property to—
- (i) the father, mother, brother, sister, wife, husband, son, daughter, grandson or grand-daughter of the executant. Two thousand rupees.
- (ii) Any other person. Two percent of the market value of the property, which is the subject matter of power of attorney:
- Provided that** the stamp duty paid on such power of attorney shall at the time of execution of a conveyance in pursuance of such power of attorney subsequently be adjusted toward the total amount of duty chargeable on the conveyance if such conveyance deed is executed within three years from the date of power of attorney.

(eee) when given to promoter or developer by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property.

The same duty as on conveyance (No 21) on the market value of the property:

**Provided that** the provisions of section 51 shall, *mutatis mutandis*, apply to such an instrument of power of attorney as they apply to a conveyance under that section :

**Provided further that** when proper stamp duty is paid under clause (e) of Article 5 on an agreement or memorandum of an agreement executed between the same parties and in respect of the same property, the duty chargeable under this clause shall be rupees one hundred.

Fifty rupees for each person authorised.

(f) in any other case.

**N.B.-**The term 'Registration' includes every operation incidental to registration under the Indian Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908).

**Explanation :** For the purpose of this Article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.

**45. Protest of Bill or Note,** that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public or other person lawfully acting as such, attesting the dishonor of a Bill of Exchange or Promissory Note. Ten rupees.

**46. Protest by the master of a ship,** that is to say, any declaration of the particulars of her voyage drawn up by him with a view to the adjustment of losses or the calculation of averages, and every declaration in writing made by him against the characters or the consignees for not loading or unloading the ship, when such declaration is attested or certified by the Notary Public or other person lawfully acting as such. See also Note of Protest by the master of a ship. (No. 41) Ten rupees.

**47. Re-conveyance of mortgaged Property:**

(a) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs. 1,000/-.

The same duty as on conveyance (No 21) for the amount of such consideration as

(b) in any other case.	set forth in the re-conveyance. One hundred rupees.
48. and 49.           XX	XX XX
<b>50. Security Bond or Mortgage-deed</b> , executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property, received by virtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability.	Subject to a minimum of rupees two hundred, half (0.5) percent of the amount secured.
<b>Exemption :</b> Bond or other instrument when executed,—	
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem:</li> <li>(b) by agriculturists taking advances from the Government or by their sureties as security for the re-payment of such advances;</li> <li>(c) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.</li> </ul>	
<b>51. Settlement—</b>	
(A) Instrument of, including a deed of dower,—	
(i) here the settlement is made for a religious or charitable purpose;	w The same duty as on bond (No 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled.
(ii) in any other case,—	(i) in respect of immovable property, The same duty as on conveyance [No 21(i)] for a sum equal to the market value of the immovable property settled; and (ii) in respect of other property or amount, the same duty as on bond (no 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled: Provided that where an agreement to



settle is stamped with the stamp required, for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed one hundred rupees : Provided further that where an instrument of settlement contains any provision for the revocation of the settlement, the amount or the value of the property settled shall, for the purposes of duty, be determined, as if no such provisions were contained in the instrument.

**Exemption :** Deed of dower executed on the occasion of or in connection with, marriage between Mohammedans, executed before or after the marriage.

(B) Revocation of,-

(i) in respect of settlement described in sub-clause (i) of clause (A);

The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property concerned as set forth in the instrument of revocation, but not exceeding fifty rupees.

(ii) in respect of settlement described in sub-clause (ii) of clause (A).

(i) in respect of immovable property, the same duty as on conveyance [No 21 (i)] for a consideration equal to the market value of the immovable

		property concerned, and
		(ii) in respect of other property or amount, the same duty as on bond (No 14) for a consideration equal to the amount settled in the instrument of revocation or the market value of the property concerned, but not exceeding five thousand rupees.
52.	XX	XX XX
<b>53. Shipping order</b>	for or relating to the conveyance of goods on board of any vessel.	Ten rupees.
<b>54. Surrender of lease :</b>		One hundred rupees.
	<b>Exemption:</b> Surrender of lease when such lease is exempted from duty.	
55.	XX	XX XX
<b>56. Trust —</b>		
<b>(A) Declaration of—</b>	of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will,—	
	(a) where there is disposition of property,—	
	(i) where the Trust is made for a religious or charitable purpose;	The same duty as on a bond (No 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled.
	(ii) in any other case.	(i) in respect of immovable property, the same duty as on conveyance [No 21 (i)] for a sum equal to the market value of the immovable property settled; and  (ii) in respect of other property or amount, The same duty as on bond (No 14) for a sum equal to the amount settled

(b) Where there is no disposition of property.

or the market value of the property settled.

The same duty as on bond (No 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding sixty rupees.

(B) **Revocation of**— of, or concerning, any property when made by any instrument other than a Will.

The same duty as on bond (No 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding fifty rupees.

**57. Warrant for goods** that is to say any instrument evidencing the title of any person therein named or his assigns, or the holder thereof to the property in any goods lying in or upon any deck (warehouse) or where such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.

Ten rupees.

XX

XX

XX

XX

**EXTRACT TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017**

**(Act No. 9 of 2017)**

XX

XX

XX

XX

**2. Definitions.**— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(1) to (60) XX

XX

XX

XX

(61) “Input Service Distributor” means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices issued under section 31 towards the receipt of input services and issues a prescribed document for the purposes of distributing the credit of central tax, State tax, integrated tax or Union territory tax paid on the said services to a supplier of taxable goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the said office;

(62) to (120) XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

**20. Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.-** (1) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of document containing the amount of input tax credit being distributed in such manner as may be prescribed.

(2) The Input Service Distributor may distribute the credit subject to the following conditions, namely:-

(a) the credit can be distributed to the recipients of credit against a document containing such details as may be prescribed;

(b) the amount of the credit distributed shall not exceed the amount of credit available for distribution;

(c) the credit of tax paid on input services attributable to a recipient of credit shall be distributed only to that recipient;

(d) the credit of tax paid on input services attributable to more than one recipient of credit shall be distributed amongst such recipients to whom the input service is attributable and such distribution shall be pro rata on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all such recipients to whom such input service is attributable and which are operational in the current year, during the said relevant period;

(e) the credit of tax paid on input services attributable to all recipients of credit shall be distributed amongst such recipients and such distribution shall be pro rata on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all recipients and which are operational in the current year, during the said relevant period.

**Explanation.-** For the purposes of this section,-

(a) the “relevant period” shall be-

(i) if the recipients of credit have turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which credit is to be distributed, the said financial year; or

(ii) if some or all recipients of the credit do not have any turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which the credit is to be distributed, the last quarter for which details of such turnover of all the recipients are available, previous to the month during which credit is to be distributed;

(b) the expression “recipient of credit” means the supplier of goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the Input Service Distributor;

(c) the term “turnover”, in relation to any registered person engaged in the supply of taxable goods as well as goods not taxable under this Act, means the value of turnover, reduced by the amount of any duty or tax levied [under entries 84 and 92A] of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule.

XX

XX

XX

XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003  
(Act No. 4 of 2003)**

XX

XX

XX

XX

**1. and 2.** XX

XXXX

XX

**3. Incidence of tax.**

(1) XX

XX

XX

XX

Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a dealer other than those specified in clause (a) of sub-section (1) or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, who purchases goods from a registered dealer of the State and sells, such goods or goods manufactured from such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover excluding the turnover of the goods specified in Schedule I, at the rate as may be notified under sub-section (3) of section 4, subject to the condition that annual turnover of such dealer does not exceed-

(i) rupees fifty lacs, in case of a dealer specified in clause (b) of sub-section (1); and

(ii) rupees seventy five lacs, in case of other dealers.

(3) to (6)

XX

XX

XX

XX

**4. Levy of tax and its rate. –**

(1) Subject to the other provisions of this Act and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the tax payable by a dealer under this Act, shall be at such point or points, as may be prescribed, in the series of sales by successive dealers and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule III to Schedule VI at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedules.

(2) Every dealer who in the course of his business purchases any good other than exempted goods in the circumstances in which not tax under sub-section (1) is payable on the sale price of such goods and the goods are disposed off for the purpose other than those specified in clause (a) to (g) of sub-section (1) of section 18, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the rate mentioned against each of such goods in Schedule III to Schedule VI of the Act.

(3) and (4) XX XX XX XX

(5) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedules, prospectively or retrospectively, or reduce the rate of tax payable in respect of any goods and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

(6) and (7) XX XX XX XX XX  
 5. to 7. XX XX XX XX

**8. Exemption of tax.**—(1) The goods specified in the Schedule—  
 I shall be exempt from tax, subject to such conditions as may be specified therein.

(2)

Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedule—  
 I, prospectively or retrospectively, and thereupon the Schedules shall be deemed to have been amended accordingly.

(3) to (5) XX XX XX XX  
 9. to 100. XX XX XX  
 XX XX XX XX

**SCHEDULES APPENDED TO THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT,  
 2003  
 SCHEDULE I**

[See sub-section (1) of section 8]  
**Goods, the Sales or Purchase of which are  
 Exempt from Tax**

S.No.	Description of Goods	Conditions, if any
1	2	3
1. to 162.	XX XX XX	

**SCHEDULE II**

[See sub-section (3) of section 8]  
**Exemption to Persons or Class of Persons**

S.No.	Exemption to person or Class of persons	Conditions, if any
1	2	3
1.	United Nations Organisation and its constituent agencies	
2.	Foreign Diplomatic Missions and their diplomats	

3.	Aviation turbine fuel to any Airlines establishing 'HUB' in the State.	
4.	(i) Canteen Stores Department, or (ii) Regimental or Unit-run canteens attached to Military units."	
5.	Rajasthan State Road Transport Corporation	
6.	Indian Railways.	
7.	XX XX XX	
8.	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Ltd., Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Ltd., Ajmer Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Jaipur Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Jodhpur Vidyut Vitaran Nigam Ltd.	
9. to 23.	XX XX XX	
24.	Airlines which for the first time connect cities of the State having no air service.	
25.	Registered Flying Clubs set up for training.	
26. to 30.	XX XX XX	
31.	BSF canteens in Rajasthan.	
32. to 34.	XX XX XX	
35.	Dealers having license for retail off, issued by the Excise Department, Government of Rajasthan.	
36. to 42.	XX XX XX	
43.	(i) Jaipur City Transport Service Limited (ii) Ajmer City Transport Service Limited	
44.	XX XX XX	
47.	CISF canteens in Rajasthan	
48.	CRPF canteens in Rajasthan	

49. to 51.	XX	XX	XX	
52.	RegistereddealerssellingHighandLightSpeedDiesel Oil in the State.			
53. to 63.	XX	XX	XX	
64.	M/s. Rajasthan State BeveragesCorporationLimited, Jaipur			
65. and 66.	XX	XX	XX	
67.	RegistereddealerssellingAviationTurbineFuel to any airline which operates commercial flights in and/or from the state of Rajasthan.			
68. to 75.	XX	XX	XX	
76	Dealers havinglicenseforretail saleofcountryliquor issuedbythe ExciseDepartment, Government of Rajasthan.			
77.	Registered dealers having retail outlets of petroleum companies			
78.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel at RCS Airport located within the State to airline operator which operates RCS Flight as defined in "Regional Connectivity Scheme- UDAN" issued by Ministry of Civil Aviation, Government of India			
79. and 80.	XX	XX	XX	
81.	Registered dealers selling High Speed Diesel to manufacturers and works contractors and those engaged in mining, who are registered under the Rajasthan Goods and Service Tax Act, 2017(Act No.9 of 2017)			
82.	M/s Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.			

**SCHEDULE III**  
[Seesection4]  
**Goods Taxable at1%**



S.No.	Description of Goods	Rate of Tax %	Conditions, if any
1	2	3	4
1. to 8.	XX XX XX		

**SCHEDULE IV**  
[See section 4]  
**Goods Taxable at 5.5%**

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax %	Conditions, if any
1	2.	3.	4.
1. to 228.	XX XX XX		

**SCHEDULE V**  
(See Section 4)  
**Goods taxable at 14.5%**

S. No.	Description of Goods	Rate of Tax %	Conditions, if any
1.	2	3	4.
1. to 28.	XX XX XX		
29.	Gases liquefied or not, other than those specifically mentioned in any of the Schedules.	14.5	
30. to 77.	XX XX XX		
78.	Goods not covered in any other Schedule appended to the Act or under any notification issued under section 6 of the Act.	14.5	

**SCHEDULE VI**  
[See section 4(5)]  
**Goods Taxable at Special Rates**

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax (%)	Conditions, if any
1.	2.	3.	4.
1.	High and light speed diesel oil	17.30	
2.	XX XX XX		
3.	Foreign Liquor, Indian Made Foreign Liquor and Beer: (a) When sold to the dealers having retail off license issued by the Excise Department, Government of Rajasthan. (b) When sold to dealers/persons not covered in (a) above.	30 20	
4.	XX XX XX		
5.	Petrol	29.04	
6.	XX XX XX		
7.	Petroleum Crude	5	
8. to 11.	XX XX XX		
12.	Aviation turbine fuel	26	
13. to 23.	XX XX XX		
24.	Country Liquor	10	
25.	Natural Gas in Liquefied or Gaseous state	10	

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX